न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक), जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं. : 26/2018

अनवान :

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र धन्नाराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. धन्नाराम पुत्र नानूराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. दीपचंद } पिसरान धन्नाराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी
3. ताराचन्द } तहसील भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री पूनमचन्द वर्मा : वादी

निर्णय **दिनांक :** 26-2-18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा जिगासरी छोटी के खाता सं0 43/42 के खसरा सं0 32 की 10.876 है0 बारानी, खसरा सं0 66 की 5.046 है0 बारानी खसरा सं0 199 की 3.275 है0 बारानी और खसरा सं0 214 की 3.478 है0 बारानी कुल 22.675 है0 बारानी में से वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 धन्नाराम के नाम 1/5 हिस्सा भूमि खातेदारी दर्ज है।

गांव जिगासरी छोटी की खतौनी जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत 2029–38 के खाता सं0 19 के खसरा सं0 32 की 43 बीघा बारानी, खसरा सं0 66 की 19 बीघा 19 बिस्वा बारानी, खसरा सं0 199 की 12 बीघा 19 बिस्वा बारानी खसरा सं0 214 की 13 बीघा 15 बिस्वा बारानी कुल 89 बीघा 13 बिस्वा बारानी भूमि वादी के दादा नानू पुत्र सेवाराम के नाम दर्ज है उक्त भूमि वादी के पिता को वादी के दादा से प्राप्त हुई है इस प्रकार उक्त भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा है और उक्त भूमि में से वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 का 1/5 हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का बहिस्सा बराबर हक व हिस्सा बनता है और उक्त भूमि को पारिवारिक सैटलमेन्ट के मुताबिक वादी और प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने बराबर बराबर बांट रखा है तथा इसी अनुसार काश्त करते चले आ रहे है।

वादी अपने बंटवारा में मिली भूमि को समतल उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहता है जिसके लिए उसे के.सी.सी ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी पारिवारिक समझौता एवं बंटवारा अनुसार अर्जीदावा की मद सं0 3 में दर्ज उक्त भूमि में अपने हक व हिस्सा की घोषणा करवाकर वादी का 1/20 हिस्सा और प्रतिवादी सं0 1 ता 3 प्रत्येक का 1/20 हिस्सा घोषित करा पाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी राजेन्द्र कुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम जिगासरीछोटी खाता सं0 43/42 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित भू-प्रबन्ध विभाग ग्राम जिगासरीछोटी सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 2, असल प्रति वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम जिगासरीछोटी में अपने पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा में विवादित कृषि भूमि को दादालाई होना जाहिर किया है जिस बाबत वादी ने अपने साक्ष्य में फोटो प्रति प्रमाणित भू-प्रबन्ध विभाग ग्राम जिगासरीछोटी सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है जिसमें वाद भूमि वादी के दादा नानू वल्द सेवाराम के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है एवं साक्ष्य में प्रदर्शित असल प्रति वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में धन्नाराम के वारिसान में पत्नि धापा व तीन पुत्र दीपचन्द, राजेन्द्र कुमार, ताराचन्द होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जिगासरी छोटी के खाता सं0 43/42 के खसरा सं0 32 की 10.876 है0 बारानी, खसरा सं0 66 की 5.046 है0 बारानी खसरा सं0 199 की 3.275 है0 बारानी और खसरा सं0 214 की 3.478 है0 बारानी कुल 22.675 है0 बारानी में से वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 धन्नाराम के नाम 1/5 हिस्सा भूमि खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 अकेले के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि विवादित कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26-2-18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा(हनु.)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा(हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक), जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं. : 26/2018

अनवान :

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र धन्नाराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. धन्नाराम पुत्र नानूराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. दीपचंद } पिसरान धन्नाराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरी छोटी
3. ताराचन्द } तहसील भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पूनमचन्द वर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जिगासरी छोटी के खाता सं0 43/42 के खसरा सं0 32 की 10.876 है0 बारानी, खसरा सं0 66 की 5.046 है0 बारानी खसरा सं0 199 की 3.275 है0 बारानी और खसरा सं0 214 की 3.478 है0 बारानी कुल 22.675 है0 बारानी में से वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 धन्नाराम के नाम 1/5 हिस्सा भूमि खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 अकेले के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि विवादित कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26-2-18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)